578

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017–18 निगरानी

नि-3723/2018/नीमच/भू.रा.

अमरलाल पिता मांगीलाल धनगर,
आयु– 50 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
निवासी– ग्राम दुधलाई तह. मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

---- निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. 19.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26.6.18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट 19.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

-- विरूद्ध --

1 भागवंतीबाई पति नाथुलालजी पिता मांगीलालजी धनगर, आयु– 38 वर्ष
निवासी– ग्राम दुधलाई तह. मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

2 सुगणाबाई पति गणेशजी पिता मांगीलाल धनगर, आयु– 34 वर्ष, निवासी– ग्राम तलाऊ तह. मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

3 प्रेमबाई पति कारूलालजी पिता मांगीलाल धनगर आयु– 32 वर्ष, निवासी– ग्राम हतुनिया तह. मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

4 मानाबाई पति रमेशचन्द्रजी पिता मांगीलाल धनगर, आयु– 30 वर्ष, निवासी– दुधलाई तह. मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

5 रामीबाई बेवा मांगीलाल धनगर, आयु– 70 वर्ष

6 केसरीमल पिता मांगीलाल धनगर, आयु– 47 वर्ष

7 गोवर्धनलाल पिता मांगीलाल धनगर, आयु–30 वर्ष
निवासीगण– ग्राम रामखेड़ा तह. मनासा जिला नीमच (म.प्र.)

-------- प्रत्यर्थीगण

19/06/18

निरंतर.........2

अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड–मनासा जिला नीमच के द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2018 से दुःखित व क्षुब्ध होकर अंदर अवधि निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता –

माननीय महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रत्यर्थीगण भागवंतीबाई पति नाथुलालजी पिता मांगीलाल धनगर, निवासी– दुधलाई तह. मनासा जिला नीमच, सुगणाबाई पति गणेशजी पिता मांगीलाल धनगर, निवासी– तलाऊ तह. मनासा, प्रेमबाई पति कारूलालजी पिता मांगीलाल धनगर, निवासी– ग्राम हतुनिया तह. मनासा, मानाबाई पति रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल धनगर, निवासी– ग्राम दुधलाई तह. मानासा जिला नीमच ने प्रत्यर्थी क्रमांक 5, 6 एवं 7 क्रमशः रामीबाई, केसरीमल, गोवर्धनलाल एवं निगरानीकर्ता के विरूद्ध ग्राम पंचायत जन्नौद तह. रामपुरा के ग्रामसभा के प्रस्ताव क्रमांक 21 दिनांक 26/01/2009 के अनुसार ग्राम जन्नौद की नामांतरण पंजी वर्ष 2008–09 के नामांतरण क्रमांक 15 जो सर्वे नंबर 474/5 रकबा 2.530 लगान 6.20 का मृतक मांगीलाल पिता तेजा गायरी निवासी– रामखेड़ा के स्थान पर वारिसान रामीबाई बेवा मांगीलाल, अमरलाल, केसरीमल, गोवर्धनलाल पिता मांगीलाल का नामांतरण किया गया उससे असंतुष्ट होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की व निवेदन किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 4 का भी निगरानीकर्ता व प्रत्यर्थी क्रमांक 5, 6 एवं 7 के बराबर हिस्सा है इसलिये प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 4 के नाम का नामांतरण पर भी सदर भूमि पर किया जावे। अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसका उत्तर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी 1

578

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3723/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	